बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण विभाग)

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 57/09–10

1. परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – नगर परिषद, मधुबनी
(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि – वर्ष 02–03 से 06–07 तक का विशेष अंकेक्षण
(ग) प्रशासी विभाग का नाम – नगर, विकास विभाग, पटना
(घ) लेखा पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम तथा कार्यकाल –

1. श्री महेन्द्र सिंह, 'कार्यपालक पदाधिकारी' दिनांक 02.02.02 से 1.11.02 तक
2. श्री मती कंचन तिवारी 'कार्यपालक पदाधिकारी' दिनांक 1.11.02 से 9.6.03 तक
3. श्री पृथ्वी राज श्रीवास्तव 'कार्यपालक पदाधिकारी' दिनांक 9.6.03 से 18.2.04 तक
4. श्री धर्मेश कुमार सिंह 'कार्यपालक पदाधिकारी' दिनांक 19.2.04 से 12.12.04 तक
5. श्री विधा राम 'कार्यपालक पदाधिकारी' दिनांक 13.12.04 से 14.8.05 तक
6. श्री एस0 एम0 अब्बास 'कार्यपालक पदाधिकारी' 14.8.05 से 14.9.06 तक
7. श्री वी0 पी0 सिंह 'कार्यपालक पदाधिकारी' दिनांक 14.9.06 से 18.9.06 तक
8. 19.9.06 से 25.10.06 तक रिक्त स्थान
9. श्री जैनेन्द्र कुमार 'कार्यपालक पदाधिकारी' दिनांक 26.10.06 से अद्यतन
10. मो0 शब्बीर आलम प्रधान सहायक सह लेखा पाल दि0 1.2.02 से 14.8.02 तक
11. मो0 असगर अली प्रधान सहायक सह लेखा पाल दि0 14.8.02 से 26.11.02 तक
12. श्री मो0 शब्बीर आलम प्रधान सहायक सह लेखा पाल दि0 27.11.02 से अद्यतन
13. श्री महेश्वर प्र0 साहु रोकड़ पाल दिनांक 31.1.02 से 31.1.06 तक

14. श्री उदय चन्द्र झा रोकड़ पाल
दिनांक 1.2.06 से अद्‌यतन

(ड.) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी एवं
कर्मचारी का नाम एवं पदनाम – श्री उदय चन्द्र झा –'' रोकड़ पाल ''

(च) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1.श्री रामायण प्रसाद साहनी –''वरीय अंकेक्षण–2''
2. श्री हरि नारायण साह– ''वरीय अंकेक्षण–2''

(छ) अंकेक्षण प्रारभ्भण तिथि – 8.11.08

(ज) अंकेक्षण समापन तिथि – 8.8.09

(झ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 73 कार्य दिवस

(ञ) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखो की सूची –'क' पर अंकित किया गया है।

(ट) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

इस कार्यालय का अंकेक्षण ज्ञाप संख्या विभागीय पत्रांक ए0 पी0 (1) 29161 – 2297 एफ0 ए0 दिनांक 4.7.1961 कंडिका 14(ध) के अनुसार उपलब्ध कराय गये अभिलेखो के आधार पर सम्पन्न किया गया। इस कार्यालय को मुख्य रूप से कर के द्वारा राशि प्राप्त किया जाता है। इस आन्तरिक संसंधान से ही कर्मचारियों के वेतन एवं नगर परिषद के अन्य आवश्यक कार्यो पर व्यय किया जाता है। कर्मचारियों के वेतन मद में भुगतान हेतु नगर विकास विभाग, बिहार पटना द्वारा समय–समय पर आवंटन दिया जाता है, जिसे आवंटन व्यय विवरणी के परिशिष्ट 'ख' पर दर्शाया गया है।

रोकड़ पाल रोकड़ पंजी में फार्म एच रसीद एवं विविध रसीदों द्वारा प्राप्त राशि की प्रविष्टि की जाती है। रोकड़ पाल रोकड़ पंजी द्वारा प्राप्त राशि की प्रविष्टि लेखा पाल रोकड़ पंजी में की जाती है। इस कार्यालय का यह प्राप्ति आंतरिक संसंधान है, जिसे वेतन एवं अन्य आवश्यक कार्यो पर व्यय किया जाता है।

लेखा पाल रोकड़ पुस्त में निम्नांकित प्राप्ति एवं व्यय पाया गया।

वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय राशि
02–03	82,81,672=77	7594279=60
03–04	61,13,733=40	3930902=00
04–05	41,48,425=25	7145571=60
05–06	99,00,641=30	8776046=00
06–07	1,20,39,573=95	59,50,441=00
	4,04,84,046=67	3,33,97,240=20

वर्ष 02–03 से 06–07 तक बैंक एकाउन्ट में रोकड़ पुस्त में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा, सांसद एवं अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त किया गया था। प्राप्ति एवं व्यय का विवरण निम्नवत पाय गया।

वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय
02–03	1530200=00	3875517=60

03—04	1,01,82,355=04	87,03,709=00
04—05	69,72,215=00	87,57,409=00
05—06	57,05,088=00	44,94,294=40
06—07	1,27,680=00	13,86,386=00
	2,45,17,538=04	2,72,17,316=00

बैंक एकाउन्ट में वर्ष 02—03 से 06—07 तक की अवधि में कुल रू0 2,45,17,538=04 प्राप्ति पाया गया तथा 2,72,17,316=00 विभिन्न योजनाओं पर व्यय किया गया था।

इसी प्रकार स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 02—03 से 06—07 तक प्राप्ति एवं व्यय निम्नवत पाया गया।

वर्ष	प्राप्ति	व्यय
02—03	22,00,000=00	13,20,820=00
03—04	5,000=00	12,60,812=00
04—05	2,17,600=00	1,99,500=00
05—06	4,45,000=00	4,44,000=00
06—07	500=00	4,500=00
	28,68,100=00	32,29,632=00

इस प्रकर स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना पर वर्ष 02—03 से 06—07 तक की अवधि में कुल प्राप्ति 28,68,100 पाया गया जबकि उक्त वर्षो में विभिन्न योजनाओं पर रू0 32,29,632=00 व्यय किया गया था।

इसी प्रकार गैर योजना मद में वर्ष 05—06 से 06—07 की अवधि में कुल प्राप्ति 39,53,887=00 व्यय विभिन्न योजनाओं पर 20,59,266=00 व्यय किया गया था पूर्ण विवरण निम्नवत है :—

वर्ष	प्राप्ति	व्यय
05—06	500	—
06—07	39,53,887	20,59,266
	39,53,887	20,59,266

इस प्राकर विभिन्न शीर्षो द्वारा प्राप्त राशि को व्यय किया गया था। वित्तीय समीक्षा अन्तर्गत वर्ष 02—03 से 06—07 तक रोकड़ पुस्त का प्रारभ्भण शेष अंकित है।कोषागार में जमा की गई एवं कोषागार से निकासी की गई राशियो का सत्यापन कोषागार अभिलेख दरभंगा से शत् —प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

इस कार्यालय का वित्त (अंकेक्षण) विभाग का प्रथम अंकेक्षण था, अतएव अनुपालन का कोई प्रश्न नही था तथा महालेखाकार के द्वारा किए गए अंकेक्षण का अंकेक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया, जिसके कारण अनुपालन की स्थिति स्पष्ट नही हो सका।

(ठ) वित्तीय समीक्षा —

वित्तीय वर्ष 02–03 से 06–07 तक से संबंधित आवंटन व्यय विवरणी इस प्रतिवेदन में परिशिष्ट ''ग'' दिया गया है। आवंटन व्यय विवरणी के अवलोकन से ज्ञात होगा कि आवंटिता राशि से अधिक व्यय नही किया गया था।

इस कार्यालय में निम्नांकित रोकड़ पुस्त संधारित था। (1) बैंक एकाउन्ट रोकड़ पुस्त (2) लेखापाल रोकड़ पुस्त (2/2 A/C) (3) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार (4) गैर योजना मद रोकड़ पुस्त

शीर्ष (1) बैंक एकाउन्ट रोकड़ पुस्त का संवरण शेष निम्नवत पाया गया।

वर्ष 31.3.02 – – – – – – – – – – 33,71,626=52
31.3.03 – – – – – – – – – – 10,36,308=92
31.3.04 – – – – – – – – – – 25,14,954=96
31.3.05 – – – – – – – – – – 7,29,760=96
31.3.06 – – – – – – – – – – 24,64,512=25
31.3.07 – – – – – – – – – – 31,04,476=85

शीर्ष (2) लेखापाल रोकड़ पुस्त –

31.3.02 – – – – – – – – – – 1,99,157=42
31.3.03 – – – – – – – – – – 8,86,550=59
31.3.04 – – – – – – – – – – 30,69,381=99
31.3.05 – – – – – – – – – – 72,235=64
31.3.06 – – – – – – – – – – 11,96,830=94
31.3.07 – – – – – – – – – – 72,85,963=89

शीर्ष (3) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार –

31.3.02 – – – – – – – – – – 9,05,322=38
31.3.03 – – – – – – – – – – 17,84,502=38
31.3.04 – – – – – – – – – – 5,28,690=38
31.3.05 – – – – – – – – – – 5,46,790=38
31.3.06 – – – – – – – – – – 5,61,582=32
31.3.07 – – – – – – – – – – 5,68,154=76

शीर्ष (4) गैर योजना मद रोकड़ पुस्त

31.3.05 – – – – – – – – – – शून्य
31.3.06 – – – – – – – – – – 500
31.3.07 – – – – – – – – – – 19,27,527=05

बैंक एकाउन्ट रोकड़ पुस्त, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना रोकड़ पुस्त, एवं गैर योजना मद से सम्बन्धिक पासबुक वर्ष 02–03 से 05–06 तक नही मिलने के कारण उपरोक्त सम्बन्धित रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का सत्यापन बैंक पासबुक से नही किया जा सका। वर्ष 06–07 का पूर्ण पासबुक उपलब्ध कराया गया जिससे उपरोक्त रोकड़ पुस्त का सत्यापन बैंक पासबुक से किया गया जिसकी विवरणी निम्नवत है।

शीर्ष का नाम रोकड़ पुस्त के अनुसार
बैंक एकाउन्ट 31.3.06 का संवरण शेष — 24,64,512=25
बैंक एकाउन्ट 31.3.07 का संवरण शेष — 31,04,476=85

बैंक का नाम एवं खाता संख्या	पासबुक के अनुसार 31.3.06 का संवरण शेष	पासबुक के अनुसार 31.3.07 का संवरण शेष
1. एस0 बी0 आई0 —मधुबनी खाता सं0— 50061	89,021=00	20,22,432=60
2. बैंक आफ इन्डिया मधुबनी खाता सं0 — 20263	14,57,272=00	1,31,406=00
बैंक आफ इन्डिया मधुबनी खाता सं0 — 20165	3,60,715=00	3,73,451=00
बैंक आफ इन्डिया मधुबनी खाता सं0 — 20140	1,50,439=00	1,55,751=00
बैंक आफ इन्डिया मधुबनी खाता सं0 — 20166	2,65,926=00	2,75,315=00
3. केनरा बैंक मधुबनी खाता सं0 — 2042	74,653=25	77,288=25
केनरा बैंक मधुबनी खाता सं0 — 1793	15,154=00	15,689=00
केनरा बैंक मधुबनी खाता सं0 — 1704	51,332=00	53,144=00
	24,64,512=25	31,04,476=85

इस प्रकार बैंक एकाउन्ट रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की राशि बैंक पास बुक में पाया गया।

शीर्ष का नाम रोकड़ पुस्त के अनुसार
स्वर्ण जयंती 31.3.06 का संवरण शेष — 5,61,582=32
शहरी रोजगार योजना 31.3.07 का संवरण शेष — 5,68,154=56

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिनांक 31.3.06 एवं 31.3.07 के संवरण शेष के अनुसार निम्नाकिंत बैंक खाते में संवरण शेष निम्नवत पाया गया।

बैंक का नाम एवं खाता सं0	पासबुक के अनुसार 31.3.06 का संवरण शेष	पासबुक के अनुसार 31.3.07 का संवरण शेष
एस0 बी0 आई0 मधुबनी खाता सं0 — 011930005284	52467=94	54,320=38
बैंक आफ इन्डिया मधुबनी खाता सं0— 13314	54,984=00	56,925=00
केनरा बैंक मधुबनी	1,24,559=00	1,28,957=00

खाता सं0— 2875		
सी0 बी0 आई0 मधुबनी, सी0 डी0 597	1,45,950=00	1,45,950=00
पी0 एन0 बी0 मधुबनी खाता सं0 — 88847	1,36,059=00	1,38,440=00
इलाहाबाद बैंक मधुबनी खाता सं0— 20504	47,562=38	43,562=38
	5,61,582=32	5,68,154=76

गैर योजना मद रोकड़ पुस्त का संधारण वर्ष 05—06 में किया गया था। रोकड़ पुस्त क अनुसार निम्नांकित संवरण शेष पाया गया। —

31.3.06 — 500

31.3.07 — 19,27,527=05

गैर योजना मद रोकड़ पुस्त के संवरण शेष से सम्बन्धित बैंक खाते में निम्नवत शेष पाया गया —

बैंक का नाम एवं खाता संख्या	पासबुक के अनुसार 31.3.06 का सवंरण शेष	पासबुक के अनुसार 31.3.07 का सवंरण शेष
इलाहाबाद बैंक मधुबनी खाता सं0 —108650	— 500	— 19,27,527=05

शीर्ष लेखा पाल रोकड़ पुस्त शीर्ष (8448) से सम्बन्धित है, इस शीर्ष से सम्बन्धित कोई पासबुक नही पाया गया, बल्कि चेक पंजी के द्वारा कोषागार के माध्यम से निकासी एवं जमा किया जाता है। रोकड़ पुस्त का संवरण शेष एवं चेक पंजी का सवंरण शेष निम्नवत पाया गया।

शीर्ष का नाम	दिनांक	रोकड़ पुस्त के अनुसार संवरण शेष	दिनांक	चेक पंजी के अनुसार संवरण शेष	अन्तर
8448 लेखा पाल रोकड़ पुस्त	31.3.03	8,86,550=59	31.3.03	8,86,550=04	0.55 चेक पंजी में कम पाया गया
	31.3.04	30,69,381=99	31.3.04	30,69381=44	0.55
	31.3.05	72,235=64	31.3.05	72,235=09	0.55
	31.3.06	11,96,830=94	31.3.06	11,96,830=46	0.48
	31.3.07	72,85,963=89	31.3.07	72,85,963=41	0.48

इस प्रकार लेखा पाल रोड पुस्त एवं चेक पंजी में 31.3.03 से 31.3.05 तक मात्र 0. 55 पैसा का अन्तर पाया गया यानि चेक पंजी में 0.55 पैसा कम पाया गया, तथा 31.3.06

से 31.3.07 तक की अवधि में चेक पंजी में मात्र 0.48 पैसा का अन्तर पाया गया। अतएव इस सम्बन्ध में आवश्यक छानबीन कर सुधार किया जाय।

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 8.11.08 को रोकड़ पुस्त का संवरण शेष निम्नांकित पाया गया।

शीर्ष का नाम	–	दिनांक 8.11.08 का संवरण शेष
लेखापाल रोकड़ पुस्त	–	36,00,150=60
स्वर्ण जयन्ती रोजगार	–	43,562=38
गैर योजना मद	–	1,18,22,327=50
बैंक एकाउन्ट रोकड़ पुस्त	–	56,42,293=38

परन्तु उपरोक्त राशि का भौतिक सत्यापन नही किया गया। इस कार्यालय में विभिन्न प्रकार के कुल पद 286 स्वीकृत पाया गया , जिनमें 156 कार्यरत बल एवं 130 बल रिक्त पाया गया । इस से सम्बन्धित विवरणी परिशिष्ट ''ग'' दिया गया है।

2. <u>41,975=00 का दोहरा भुगतान वसूली योग्य :–</u>

लेखा पाल रोकड़ पुस्त (P/LA/C) के व्ययों की जाँच अभिश्रवों ,योजना अभिलेख, अग्रिम पंजी , भंडार पंजी एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया गया कि एक ही अवधि की मजदूरी कई बार भुगतान मस्टर रौल पर किया गया था। कई बार भुगतान से सम्बन्धित एवं वास्तविक भुगतान योग्य मजदूरी से सम्बन्धित विवरणी परिशिष्ट ''च'' दिया गया है। विवरणी को देखने से स्पष्ट होगा कि एक ही अवधि की मजदूरी को एक माह में कई बार दिखाकर दोहरा भुगतान किया गया था।

विवरणी के अनुसार कुल भुगतान रू0 77,625 का किया गया था, जबकि वास्तविक भुगतान 35,650 ही होना चाहिए था। इस प्रकार 77625(–) 35,650 = 41,975 का भुगतान अधिक किया गया। मस्टर रौल में मजदूरों द्वारा एक ही तिथि को कई बार दावा कर अधिक भुगतान किया गया था।

अतएव सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से रू0 41,975/– वसूल कर संबंधित शीर्ष अन्तर्गत जमा किया जाय, तथा गलत मस्टर रौल बनाकर अग्रिम ली गई राशि को समायोजित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाय तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

3. <u>रू0 13,663/– मोबाइल की कीमत वसूली योग्य :–</u>

लेखा पाल रोकड़ पंजी (P/LA/C) के व्ययों की जाँच अभिश्रवों चेक पंजी, भंडार पंजी एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0 203/28.7.04 के द्वारा मेसर्स कविता एजेन्सी ,मधुबनी से सैमंसंग मोबाइल 2@ 6831/ की दर से क्रय कर रू0 13663 का भुगतान दिनांक 13.8.04 को किया गया था। भंडार पंजी के जाँच मे पाया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं उपाध्यक्ष द्वारा भंडार पंजी पर हस्ताक्षर के बाद उक्त मोबाइल प्राप्त किया गया था। उक्त दोनों पदाधिकारी के स्थानान्तरण फलस्वरूप उक्त दोनों मोबाइल सम्बन्धित भंडार पास को वापस नही किया गया था। जिसके कारण भंडार पंजी में उक्त दोनो मोबाइल की प्रविष्टि पुनः नही पाई गई।

निर्गत आपत्ति के आलोक में जबाव दिया गया कि सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

अतः सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से उक्त दोनों मोबाइल की कीमत रू0 13,663/– वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

4. रू0 9528=37 वसूली योग्य :–

गैर योजना मद रोकड़ पुस्त के व्ययों की जाँच अभिश्रवों योजना अभिलेख,अग्रिम पंजी,भंडार पंजी एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया कि चापाकल गड़ाई करने हेतु रू0 9528=37 का भुगतान किया गया था। सामानों के क्रय से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट ''छ'' पर दिया गया है।

परन्तु चापाकल गड़ाई से सम्बन्धित मस्टर रौल नही दिखाया गया। साथ ही सामनों के उपयोग से सम्बन्धित कोई प्रमाण नही पाया गया। चापाकल गड़ाई से सम्बन्धित रिक्वीजीशन, स्वीकृति आदेश एवं सामानों की प्रविष्टि भंडर पंजी में नही पाया गया।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के अभाव में सम्बन्धित उतरदायी व्यक्ति से रूपये 9528=37 वसूली योग्य है। अतएव सम्बन्धित उतरदायी व्यक्ति से उक्त राशि वसूल कर संगत कोष में जमा किया जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

5. रू0 4,489=00 वसूली योग्य :–

लेखा पाल रोकड़ पंजी (P/LA/C) के व्ययों की जाँच अभिश्रवों ,चेकपंजी, भंडार पंजी एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया गया कि चेक संख्या 099550 दिनांक 6.11.03 अभिश्रव संख्या 76 दिनांक 6.11.03 के द्वारा 4489/– का भुगतान दैनिक जागरण को दिखाया गया था। चेक पंजी एवं चेकों की जाँच में पाया गया कि उक्त चेक संख्या का रद्ध किया गया था। जिसके फलस्वरूप उस चेक की राशि की निकासी नही की गई थी। परन्तु लेखा पाल रोकड़ पंजी में उक्त राशि का व्यय दिखाया गया था।

अतएव रोकड़ पुस्त में उक्त चेक की राशि का व्यय दिखाए जाने के कारण सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली योग्य है। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जबाव दिया गया कि सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

अतः सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से रू0 4489/– वसूल कर संगत कोष में जमा किया जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार पटना को अवगत कराया जाय।

6. रू0 3754.65 पै0 निर्धारित दर से अधिक भुगतान की गई वसूली योग्य :–

लेखा पाल रोकड़ पंजी (P/LA/C) के व्ययों की जाँच अभिश्रवों ,भंडारपुस्त, चेकपुस्त ,एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया गया कि दैनिक पारिश्रमिक के रूप में ट्रैक्टर चालक को @ 81.05 एवं @ 88/– की दर से विभिन्न अवधि में भुगतान किया गया था। जबकि बिहार सरकार सचिव राजस्व पर्षद, पटना के ज्ञापांक 3/7–4/56–707(3) दिनांक 2.8.01 के अनुसार चालक को माह में मात्र 26 दिनों के लिए

ही @ 75/– की दर से भुगतान करने का आदेश निर्गत है। अतएव, निर्धारित दर से अधिक भुगतान की गई राशि की विवरणी परिशिष्ट ''ज'' पर दिया गया है।

ट्रैक्टर चालक को कुल रूपये 33,154.65 का भुगतान किया गया था, जबकि नियमानुसार रू0 29,400/– का ही भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 33,154065–29400= 3754.65 का अधिक भुगतान किया गया था। जो सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली योग्य है। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जबाव दिया गया कि सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से रू0 3754.65 रू0 वसूल कर संगत कोष में जमा किया जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

7. रू0 3630/– अधिक भुगतान की गई राशि वसूली योग्य :–

शीर्ष लेखा पाल रोकड़ पुस्त (P/LA/C) के व्ययों की जाँच ,अभिश्रवों ,भंडार पंजी ,एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया गया कि अभिश्रव संख्या 237/19.10.05 के द्वारा दैनिक मजदूरों के भुगतान हेतु श्री सत्यनारायण राम के द्वारा 165 मजदूरों को @ 100/– की दर से रू0 16,500/– का भुगतान दिनांक 19.10.05 को किया गया था।

उक्त अवधि में मजदूरी दर @ 78/– देय था। इसलिए 165 x @ 78 = 12870/–का भुगतान किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा न करके निर्धारित दर से अधिक दर पर मजदूरी का भुगतान किया गया । अतएव 165 x 100= 16500 – (165 x @ 78) 12870=3630/– रूपये अधिक मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया था। अतएव सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से रू0 3630/– वसूल कर संगत कोष में जमा किया जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

8. रू0 1844=00 अधिक दैनिक भत्ता के रूप में भुगतान की राशि वसूली योग्य :–

लेखा पाल रोकड़ पंजी (P/LA/C) के व्ययों की जाँच अभिश्रवों ,चेकपंजी , भंडारपंजी एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कर्मचारियों द्वारा विभिन्न तिथियों को यात्रा किया गया था परन्तु दैनिक भत्ता के रूप में अनुमान्य दर से अधिक दर पर दैनिक भत्ता का भुगतान किया गया था। यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 69(2) के अनुसार दैनिक भत्ता अधिक दिया गया था। यात्रा से सम्बन्धित एवं भुगतान योग्य राशि से सम्बन्धित विवरणी परिशिष्ट ''झ'' दिया गया है।

यात्रा भत्ता के रूप में कुल रू0 2900/– का भुगतान किया गया था, जबकि नियमानुसार राशि रू0 1056/– का ही भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 2900–1056= 1844/– रू0 अधिक भुगतान किया गया। जो सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली योग्य है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जबाव दिया गया कि सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से उक्त रू0 1844/– शीध्र वसूलकर कोषागार में जमा किया जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) को अवगत कराया जाय।

9. रू0 990=00 अधिक भुगतान उपादन की राशि वसूली योग्य :–

श्री मो0 मुसा अंसारी सेवा निवृत प्रधान सहायक–सह लेखा पाल के निजी संचिका की जाँच में पाया कि मो0 मुसा दिनांक 30.9.01 को सेवा निवृत हुए थे। सेवा निवृति के समय उपादन की राशि का भुगतान निम्नवत किया गया था।

अंतिम वेतन – 2040
मँहगाई भत्ता 240% – 4896
चिकित्सा भत्ता – 50
नगर परिषद भत्ता – 10

6996 x 33 = 230868 / 2 = 1,15,434 /–

का भुगतान चेक संख्या बी0 ओ0 पी0 18986 एवं अभिश्रव संख्या 23 / 15.4.06 के द्वारा किया गया था। नियमानुसार उपादान की राशि के भुगतान में अंतिम मूलवेतन एवं मँहगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता देय नही है।

इस प्रकार अंतिम वेतन – 2040
मँहगाई भत्ता 240% – 4896

6936 x 33 = 228888 / 2 = 114444 /–

हीं उपादान की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार 115,434–1,14,444= 990 /– का अधिक भुगतान किया गया था। अतएव सम्बधित उत्तरदायी व्यक्ति से रू0 990 /– वसूली योग्य है। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जबाव दिया गया कि सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः सम्बधित व्यक्ति से उक्त राशि 990 /– वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

10. रू0 10280=00 के राजस्व की क्षति :–

शीर्ष गैर योजना रोकड़ पुस्त के व्ययों की जाँच अभिश्रवों,भंडारवही, संचिका एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया गया कि अभिश्रव सं0 4 / 29.5.06 के द्वारा मेसर्स विशाल ओटो मोबाइल, मधुबनी से स्वराज 722 सुपर ट्रैक्टर का क्रय रू0 2,57,000 /– में किया गया था, जिसका भुगतान दिनांक 1.6.06 को किया गया था। नियमानुसार उक्त ट्रैक्टर पर @ 4% की दर से वैट (कर की कटौती) के पश्चात हीं भूगतान किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। ट्रैक्टर की कुल राशि रू0 2,57,000 पर @4% की दर से वैट की राशि रू0 10,280 /– कटौती के पश्चात (2,57,000–10,280) = 2,46,720 /– का भुगतान किया जाना चाहिए था। अतएव सम्बन्धित उत्तरदायी फर्म से रू0 10,280 /– वसूल कर राजस्व की क्षति की भरपाई की जाय।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अतः क्षति पूर्ति के लिए अवशयक कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

11. रू0 76,04,521=57 अस्थायी अग्रिम की राशि असमायोजित :–

लेखा पाल रोकड़ पुस्त, (P/LA/C) बैंक एकाउन्ट रोकड़ पुस्त, गैरयोजना रोकड़ पुस्त, नेहरू रोजगार योजना रोकड़ पुस्त, एवं स्वर्णजयन्ती रोजगार योजना रोकड़ पुस्त के व्ययों की जाँच के क्रम में योजना अभिलेख,अग्रिम पंजी के जाँच के पश्चात पाया गया कि

विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न कर्मचारियों को अग्रिम का भुगतान किया गया था। अग्रिम पंजी में, समायोजन के पश्चात दिनांक 31.3.07 तक विभिन्न कर्मचारियों के पास कुल रू0 76,04,521=57 पै0 समायोजन हेतु लम्बित था, जिसकी विवरणी परिशिष्ट ''ञ'' दिया गया है।

विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न कार्यो को करने हेतु विभिन्न कायो को करने हेतु विभिन्न शीर्षो में अग्रिम का भुगतान किया गया था। सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अभिश्रव प्रस्तुत किया गया था, तथा अग्रिम का समायोजन किया गया था। 31.3.07 तक समायोजन के पश्चात् समायोजन हेतु रू0 76,04,521=57 पै0 लम्बित था।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि 31.3.07 के बाद भी असमायोजित राशि का समायोजन किया गया है, तथा समायोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है। अतः समायोजन नही होने की स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी से वसूली की कार्रवाई की जाएगा। अतः लम्बित राशि का समायोजन किया जाय,तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय, तब तक राशि 76,04,521=57 पै0 असम्मायोजित अग्रिम अन्तर्गत रखा जाता है।

12. रू0 2,14,330=10 आपत्ति अन्तर्गत :–

दैनिक कर संग्रहण पंजी में प्रविष्ट राशि का मिलान फार्म एच रसीद एवं मिश्रित रसीद से करने के क्रम में पाया कि फार्म एच रसीद एवं मिश्रित रसीद द्वारा प्राप्त राशि की प्रविष्टि दैनिक कर संग्रहण पंजी में किय गया था, परन्तु वसूली की गई राशि को कोषागार में जमा न करके विभिन्न कर्मचारी को वेतन मद् में भुगतान किया गया था। विभिन्न रसीदों द्वारा वसूली की गई राशि एवं वेतन मद में विभिन्न कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित विवरणी परिशिष्ट ''ट'' दिया गया है।

विभिन्न रसीदों द्वारा प्राप्त राशि को दैनिक संग्रहण पंजी में प्रविष्टि के पश्चात् उक्त राशि को संगत कोष में जमा किया जाना चाहिए था तथा सक्षम पदा0 से आदेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् हीं कर्मचारियों को भुगतान किया जाना चाहिए था। ऐसा न करके विभिन्न रसीदों द्वारा वसूली की गई कर की राशि रू0 2,14330=10 सीधे वेतन मद में विभिन्न कर्मचारियों को भुगतान किया गया जो नियम के विपरित है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में बतलाया गया कि ''भविष्य में इस प्रकार भुगतान नही किया जायगा'' अतः इस प्रकार के भुगतान पर रोक लगाई जाई तथा उक्त भुगतान को नियमित किया जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाय, तब तक उक्त राशि रू0 2,14,330=10 पै0 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

13. रू0 1,46,873=00 आपत्ति अन्तर्गत :–

लेखा पाल रोकड़ पुस्त (P/LA/C) के व्ययों की जाँच अभिश्रवों भंडार पंजी एवं अन्य संगत अभिलेख से करने के क्रम में पाया गया कि सामानों का क्रय किया गया, परन्तु सामानों के क्रय से सम्बन्धित रिक्वीजीशन ,स्वीकृति आदेश एवं सामानों की प्रविष्टि भंडार पंजी में नही पायी गयी जिसकी विवरणी परिशिष्ट ''ठ'' दिया गया है।

नियमानुसार सामानों के क्रय हेतु रिक्वीजीशन, स्वीकृति आदेश का लेना आवश्यक है। क्रय किए गए सामानों की प्रविष्टि भंडार पंजी में किया जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नही पाया गया।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में जबाब दिया गया कि '' अंकेक्षण दल को अभिश्रव उपलब्ध करा दिया गया है, भविष्य में नियम का पालन किया जायगा''। अंकेक्षण दल को अभिश्रव उपलब्ध नही कराया गया, बल्कि अग्रिम लिए गए प्रमाण को अभिश्रव बतलाया गया । वास्तविकता यह है कि अग्रिम पाने से सम्बन्धित अभिश्रव है, न कि सामानों के क्रय से सम्बन्धित अभिश्रव अतएव उपरोक्त नियम का पालन किया जाय तथा अभिश्रव,स्वीकृति अदिम,सामानों की प्रविष्टि भंडार पंजी में दिखाकर नही करने की स्थिति में सम्बन्धित उत्तरदायी व्यक्ति से उक्त राशि वसूली लेगी, अतएव की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय, तबतक राशि रू0 1,46,873=00 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

14. रू0 42,210=00 का क्रीत सामान की भंडार प्रवृष्टि के अभाव में आपत्ति अन्तर्गत :–

लेखा पाल रोकड़ पुस्त से सम्बन्धित अभिश्रवों, भंडार पंजी ,एवं अन्य संगत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में व्यावहार के लिए , विभिन्न प्रकार के सामानों का क्रय किया गया था, जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर दिया गया है।

कार्यालय में व्यावहार हेतु सामानों के क्रय के लिए रिक्वीजशन, स्वीकृति आदेश नही पाया गया साथ हीं क्रय किए गये सामानों की प्रविष्टि भंडार पंजी में नही पाया गया। इस प्रकार सामानों के क्रय हेतु नियम का पालन नही किया गया था।

उपरोक्त तथ्यों के अभाव में सामानों का क्रय में संदेहात्मक प्रतीत होता है। अतः सक्षम पदाधिकारी क्रीत सामान से संबंधित अभिलेख जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना को अवगत कराये जाँच तक व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

15. रू0 7842=45 पै0 आपत्ति अन्तर्गत :–

शीर्ष लेखापाल रोकड़ के व्ययों की जाँच अभिश्रवों,भंडार पंजी,एवं अन्य संगत अभिलेखों से जाँच के क्रम में पाया गया कि गाड़ी में उपयोग किए गए पट्रोलों से सम्बन्धित लौंगबुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया, परन्तु पेट्रोल का उपयोग किया गया था, पेट्रोल के उपयोग से सम्बन्धित विवरणी परिशिष्ट 'ङ' दिया गया है।

अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि विभिन्न गाड़ीयों के परिचालन हेतु पेट्रोल का क्रय किया गया था, परन्तु व्यय से सम्बन्धित लौंग बुक प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण क्रय किए गए पेट्रोलों की प्रविष्टि की जाँच लौंग बुक से नही किया गया था, तथा पेट्रोल की उपयोगिता की जाँच नही किया जा सका। अतः प्रशासी विभाग द्वारा इसकी छानबीन कर वस्तु स्थिती से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत कराया जाय, तब तक पेट्रोल क्रय की राशि रू0 7842=45 पै0 आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

16. रू0 30=00 अंकेक्षण दृष्टान्त पर वसूली :–

मिश्रित दैनिक संग्रहण पंजी में प्रविष्ट राशि की जाँच मिश्रित रसीद द्वारा प्राप्त राशि से मिलान करने के क्रम में पाया गया कि मिश्रित रसीद संख्या 3608 दिनांक 9.3.06 द्वारा श्री पवन कुमार पेर्क से रूपया 1170/– प्राप्त किया गया था, परन्तु मिश्रित दैनिक संग्रहण पंजी में मात्रा रू0 1140=00 हीं प्राप्ति दिखाया गया था। इस प्रकार 1170–1140

= 30/– रू0 की प्रविष्टि मिश्रित दैनिक संग्रहण पंजी में नही दिखाए जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित व्यक्ति से वसूली योग्य है। निर्गत आपत्ति के आलोक में मनी रसीद संख्या 7625 दिनांक 7.3.09 के द्वारा रू0 30/– की वसूली सम्बन्धित व्यक्ति से कर लिया गया ।

17. रोकड़ का भौतिक सत्यापन का अभाव :–

बिहार कोषागार नियमावली के नियम 86(1) क अनुसार रोकड़ का भौतिक सत्यापन माह के अन्त में विस्तृत विवरण के साथ रोकड़ पंजी में नही लिखा गया था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उक्त नियम का तत्परता पूर्वक पालन किया जाय तथा रोकड़ का विस्तृत विवरणी रोकड़ पुस्त में अंकित किया जाय।

18. बैंक पासबुक उपलब्ध नही कराने के सम्बनध में :–

अंकेक्षण अवधि वर्ष 02–03 से 06–07 की अवधि में मात्र 06–07 का पूर्ण रूप से बैंक पासबुक उपलब्ध कराया गया। वर्ष 02–03 से 05–06 का बैंक पासबुक उपलब्ध नही कराया गया। बैंक पासबुक उपलब्ध नही रहने के कारण रोकड़ पुस्त का संवरण शेष का सत्यापन नही किया जा सका, साथ ही बैंक द्वारा दिया गया सूद की राशि का सत्यापन नही किया जा सका।

अतः विभागीय पदाधिकारी का ध्यान पूर्व के पासबुक के छानबीन करने हेतु आकृष्ट किया जाता है।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षार

(1)

(2)

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

परिशिष्ट 'क'

कंडिका "ञ" से सम्बन्धित

अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. लेखापाल रोकड़ पुस्त वर्ष 02–03 से 06–07
2. बैंक एकाउन्ट रोकड़ पुस्त 02–03 से 06–07
3. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार रोकड़ पुस्त 02–03 से 06–07
4. गैर योजना मद रोकड़ पुस्त 05–06 से 06–07
5. फौर्म एच रसीद
6. दैनिक संग्रहण पंजी
7. रोकड़ पास रोकड़ पुस्त
8. विविध रसीद
9. कोषागार चालान
10. कोषागार जमा पंजी
11. प्राप्त चेक पंजी
12. निर्गत चेक पंजी
13. वेतन भुगतान पंजी
14. अभिश्रव पंजी
15. योजना पंजी
16. योजना अभिलेख
17. फार्म एच रसीद भंडार पंजी
18. विविध रसीद भंडार पंजी
19. कर निर्धारण पंजी
20. बैंक पास बुक 06–07
21. अंवटन पत्र

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची

1. गाड़ी लौगबुक, बी0 आर0 ए0 6487,बी0 आर0 जी0 2170 ,बी0 आर0 जी0 5996
2. बैंक पासबुक
3. सेवापुस्ता